भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल
दूरभाष 0755–2478250–51,52,53 FAX – 0755–2450896
– अल्पकालीन ई– निविदा सूचना –

संघ द्वारा अधोदर्शित विवरण अनुसार श्वेत मक्खन विक्रय हेतु भारत के सभी स्टेट डेयरी फेडरेशन, सहकारी दुग्ध संघो एवं राज्य के बाहर के निजी व्यवसायियों से भाव ऑफर ई–टेण्डर के माध्यम से आंमत्रित किया जाता हैं।

1	श्वेत मक्खन (20 किलो के पैंक में)	500 में0टन	दशम् निविदा सूचना

प्रस्तुत आफॅर के साथ रू. 2,00,000/– (श्वेत मक्खन) की EMD राशि का बैंक ड्राफ्ट जो **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल** के नाम देय हो, भौतिक रूप से दिनांक 02.11.2018 को दोपहर 2.30 बजे तक जमा होना आवश्यक है। निविदा दिनांक 02.11.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी। बिना EMD के आफॅर मान्य नही होगा। निविदा प्रपत्र http://www.mpeproc.gov.in से रूपये 500/– का ऑन–लाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं। किसी भी प्राप्त भाव ऑफर को पूर्ण या आशिंक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। अन्य नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी के लिये एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईट www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आफॅर प्रस्तुत करने सम्बन्धी मुख्य नियम शर्ते

1 ऑफर प्रस्तुतकर्ता के पास FSSAI लायसेंस एवं अपने कार्यक्षेत्र के राज्य का विक्रय कर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैं। आफॅर के साथ दोनो दस्जावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत की जावें।

2 ऑफर प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपने ऑफर में एक्स भोपाल डेयरी संयंत्र भाव प्रस्तुत किये जावे अर्थात प्रस्तुत भाव मे सभी टेक्स एवं परिवहन पृथक माना जावेगा। जो क्रेता को वहन करना होगा।

3 ऑफर में पार्टी द्वारा क्रय की जाने वाली मात्रा एवं भाव को अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 50 में.टन मात्रा से कम का टेण्डर स्वीकार योग्य नही होगा।

4 ऑफर के साथ निर्धारित EMD का डिमांड ड्राफ्ट जो कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना EMD प्राप्त ऑफर मान्य नही होगा। निर्धारित दिनांक के पूर्व उक्त डी.डी. संघ कार्यालय में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

5 ऑफर स्वीकृत होने की दशा में मात्रा की राशि अग्रिम जमा कराने के पश्चात् 30 दिवस में पूर्ण मात्रा उठाने की व्यवस्था करना होगा।

6 माल निर्धारित गोडाउन से लोडिंग एवं परिवहन आदि की व्यवस्था स्वंय पार्टी को करना होगी।

7 नियमानुसार ई–वे बिल लागू होने की दशा में सभी शर्ते मान्य होगी।

8 ऑफर स्वीकृति पश्चात् यदि आफॅरदाता द्वारा किसी भी कारण से श्वेत मक्खन निर्धारित प्रकिया अनुसार नही उठाया जाता हैं, तो ऑफर के साथ प्रस्तुत EMD राशि संघ द्वारा राजसात की जावेगी।

9 किसी भी विवादित प्रकरण में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी दुग्ध संघ, भोपाल का निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा एवं सभी विवादों की स्थिति में न्यायक्षेत्र सहकारी न्यायालय, भोपाल होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पूर्ण पता	
3	फोन न.	
4	ई–मेल आई.डी.	
5	फर्म का पंजीयन क्रमांक	
6	जी.एस.टी. नम्बर	
7	FSSAI लायसेंस नम्बर	
8	डी.डी. न0	

<u>मात्रा में0टन में</u>

श्वेत मक्खन	

नोटः– दर ऑन–लाईन ही मान्य की जावेगी।

<u>घोषण पत्र</u>

मेरे द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 से 09 तक की शर्ते पढ़ एवं समझ ली गई हैं, उसे मान्य करते हुए मै अपना श्वेत मक्खन के भाव ऑफर प्रस्तुत कर रहा हूॅ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर
(नाम एवं फर्म रबर स्टाम्प)